राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2115/2023

किरोडी लाल मीणा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. अतितिक्त मुख्य सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, पीएचईडी, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, अतिरिक्त, पीएचईडी, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.08.2023
आदेश की दिनांक : 23.08.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमंत धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.08.2023 (अनुलग्नक–1) जिसके द्वारा अपीलार्थी को अधिशाषी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, परियोजना खण्ड करौली (मुख्यालय टोडाभीम) से प्रशासनिक कारणों से राज्य हित में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान पदस्थापन स्थान पर दिनांक 14.01.2023 से पदस्थापित है (अनुलग्नक–3)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा स्थानान्तरण प्रतिबंध अवधि में अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाकर अपनी आगामी उपस्थिति मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) पीएचइडी कार्यालय जयपुर हेतु निर्देशित किया है। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा कार्यमुक्त किया गया है। जीएडी के आदेश दिनांक 04.01.2023 द्वारा राजकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर दिनांक 15.01.2023 से पूर्ण प्रतिबंध है (अनुलग्नक–4)। अति आवश्यक प्रकृति के स्थानान्तरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से किए जा सकते है। आलोच्य आदेश बिना सक्षम स्वीकृती के जारी किया गया है। साथ ही आलोच्य आदेश राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए का उल्लघंन है। उक्त नियम के द्वारा सात आधारों पर ही किसी कार्मिक को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जा सकता है। माननीय अधिकरण द्वारा समान प्रकरणों में कार्मिकों को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने हेतु जारी आदेशों को स्थगित किया

हुआ है। अपीलार्थी सेवानिवृति के नजदीक है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पुष्पा मेहता बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के दृष्टिगत पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में आदेश को स्थगित किया जाना आवश्यक है। अतः आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने, आरएसआर के नियम 25ए का उल्लघंन होने, प्रतिबंध अवधि में जारी होने और अपीलार्थी की सेवानिवृति नजदीक होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2023 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 14.08.2023 (अनुलग्नक–2) को अपास्त करने का अनुतोष चाहा गया है।

प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में निवेदन किया गया है कि आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 14.08.2023 पूर्णत प्रशासनिक आवश्यकता एवं व्यापक जनहित को देखते हुए जारी किया गया है। इन आदेशों में कोई विधि विरूद्ध या नियमों का उल्लघंन नहीं है तथा आदेश बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है। कोई भी कार्मिक किसी स्थान विशेष पर पदस्थापित रहने का अधिकार नहीं रखता है। प्रशासनिक आवश्यकताओ के दृष्टिगत स्थानान्तरण/पदस्थापन/ पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के आदेशों पर कोई स्थानानतरण नीति प्रभावकारी नहीं होती।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.सी. सक्सैना बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य 2006 (9) एस.सी.सी. 538 में स्थानान्तरण होने पर कर्मचारी को क्या करना चाहिए, इस बिन्दु पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया है किः–

It is his duty first work where he is transferred and make a representation as what may be his personal problem- This tendency of not reporting at the place of posting and indulging in litigation need to be curbed.

इसी प्रकार शिल्पी बॉस– बनाम – बिहार राज्य (ए.आई. आर. 1991 एस.सी. 532) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानांतरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया हैः–

"In our opinion, the courts should not interfere with a transfer order which is made in public interest and for administration reasons unless the transfer is made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the

ground of mala fide. A government servant holding a transferable post has no vested right or remain posted at one place or the other. He is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नम्रता वर्मा बनाम उत्तरप्रदेश राज्य में दायर स्पेशल लीव पिटीशन याचिका को खारिज करते हुए अपने आदेश में यह अंकित किया गया है:- " It is not for the employee to insist to transfer him/her and/or not to transfer him/her at a particular place. It is for the employer to transfer an employee considering the requirement."

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी को विशेष परिस्थितियों में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। इस कारण राजस्थान सेवा नियम के नियम 25ए का उल्लंघन नहीं है। अपीलार्थी के कार्यालय परियोजना खण्ड करौली के कार्मिक सुनील कुमार जांगिड, वरिष्ठ सहायक ने एक नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया जिसके कारण जांगिड के विरूद्ध थाना टोडाभीम जिला करौली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 व 376 तथा 3, 4 पोक्सो एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0350 दिनांक 10.08.2023 को दर्ज हुई। उक्त एफआईआर की सूचना अपीलार्थी को पीडितों के परिजनों द्वारा सायं 5.30 बजे दे दी गई थी। नाबालिग बालिका के रैप की सूचना समस्त क्षेत्र में दिनांक 10.08.2023 को ही फैल गई थी एवं अपीलार्थी का कार्मिक होने की बात भी सभी के संज्ञान में थी। उक्त अमानवीय कृत्य की सूचना अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार को नहीं दी गई एवं इस संदर्भ में मिडिया में समाचार प्रसारित होने के उपरान्त एवं उच्चाधिकारियों द्वारा पूछे जाने पर अपीलार्थी द्वारा उक्त कृत्य की सूचना दिनांक 12.08.2023 को प्रथम बार मध्यान्ह 12.49 बजे दी गई। कार्यालयाध्यक्ष होने के नाते अपीलार्थी को उक्त कृत्य की सूचना समय पर नही दिये जाने विभाग की छवि जनता में खराब होने, अपीलार्थी द्वारा पदीय कर्तव्यों का सम्यक रूप से निर्वहन नही किये जाने से प्रशासनिक कारणों से आदेशों की प्रतीक्षा में किया गया। आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने हेतु प्रतिबंध अवधि में कोई रोक नहीं है। विशेष परिस्थितियों में ही अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश की अनुपालना में दिनांक 14.08.2023 को मुख्य अभियन्ता कार्यालय में अपनी उपस्थिति

दर्ज करा दी है। अतः उक्त तथ्यों के दृष्टिगत आलोच्य आदेश प्रशासनिक आवश्यकताओं के जारी किया गया है। अतः अपील खारिज किए जाने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण में विद्वान् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई और पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्डों का अवलोकन कर मनन किया गया।

आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2023 द्वारा अपीलार्थी को परियोजना खण्ड करौली (मुख्यालय टोडाभीम) से पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्य अभियन्ता (प्रशासन) पीएचईडी विभाग राजस्थान जयपुर किया गया है। आलौच्य आदेश में पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का कोई कारण अंकित नहीं है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में यह बताया गया है कि अपीलार्थी के कार्यालय में कार्यरत किसी कार्मिक द्वारा नाबालिग बालिका से बलात्कार किए जाने की सूचना विभाग को विलम्ब से दिए जाने के आधार पर अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। अपीलार्थी के द्वारा उसके विभागीय/राजकार्य में लापरवाही बरतने अथवा किसी प्रकार की त्रुटि/गबन या गडबड़ किए जाने के आधार पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में नहीं रखा गया है। उसके अधीनस्थ कार्मिक द्वारा किए गए अपराध में अपीलार्थी को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संलिप्तता या सहयोग करने या उस अपराध में राजकीय सम्पत्ति/संसाधनों के उपयोग होने का तथ्य भी पत्रावली पर विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में नहीं है। मात्र उसकी सूचना विलम्ब से दिए जाने के आधार पर आलौच्य आदेश जारी किया गया है। वर्तमान में स्थानान्तरण पर प्रतिबंध है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में हमारा मत है कि अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का आदेश बिना यथोचित कारणों से जारी किए जाने एवं नियमानुसार नहीं होने के कारण अपास्त योग्य है। अतः आलोच्य आदेश दिनांक 12.08.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 14.08.2023 को अपास्त किया जाता है। यद्यपि प्रत्यर्थी विभाग आवश्यक समझे तो अपीलार्थी का स्थानान्तरण/पदस्थापन राजकीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार अन्यत्र किए जाने हेतु पूर्ण स्वतंत्रत होगा।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

मनीष